



आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई के दिप्पणी तारीख
1	2	3
न्यायालय समाहर्ता, पूर्णियाँ वासगीत पर्चा वाद संख्या-113/2008 धारा-21 B.P.P.H.T Act		
<p>जनार्दन यादव, पिता-स्व० मनीलाल यादव, साकिन-बेलौरी, थाना-सदर, जिला- पूर्णियाँ आवेदक</p>		
बनाम		
<p>बौकू राम, पिता-स्व० बालगोविन्द मोची, साकिन- बेलौरी, थाना-सदर, जिला- पूर्णियाँ विपक्षी</p>		
आ दे श		
<p>आवेदक अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या- 17/1974-75 में पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद दायर किया है। आवेदक का कथन है कि उसकी नानी फूलवती देवी एवं सह-हिस्सेदार अखिलेश्वर यादव के बीच स्वत्व वाद संख्या-353/1970 में समझौता आवेदन के आधार पर खाता संख्या-276, खेसरा संख्या-606, रकवा-03 डिसमिल जमीन आवेदकके नानी फूलवती देवी के हिस्से में तथा खेसरा संख्या-607, रकवा-07 डिसमिल जमीन अखिलेश्वर यादव को हिस्से में मिला। आवेदक की माँ आशा देवी फूलवती देवी की एकमात्र संतान थी तथा आवेदक भी अपनी माँ का एकमात्र कानूनी वारिस है। फूलवती देवी की मृत्यु के पश्चात आवेदक नानी के जमीन का दखलकार हुआ। आवेदक को कम जमीन रहने के कारण दूसरे हिस्सेदार अखिलेश्वर यादव ने भी अपने हिस्से की खेसरा संख्या-607, रकवा-07 डिसमिल जमीन आवेदक को मौखिक रूप से दान में दे दिया। आवेदक उपरोक्त जमीन में घर बनाकर रह रहा है और खाली जमीन का उपयोग बाड़ी-झाड़ी के रूप में कर रहा है। वर्ष 2007-08 में अचानक विपक्षी ने आवेदक से कहा कि इस जमीन का पर्चा मेरे नाम से बना हुआ है। तत्पश्चात आवेदक अंचल कार्यालय जाकर पता लगाया तो विपक्षी का कथन सत्य था। आवेदक ने बजाप्ता नकल के लिये अंचल कार्यालय में आवेदन दिया किन्तु दिनांक 05.01.2008 को अंचल कार्यालय के नाजीर ने बताया कि अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी के ससुर के नाम से मौजा-बेलौरी, खाता संख्या-326, खेसरा संख्या-604, रकवा-06 डिसमिल जमीन सिकमी दर्ज है और वह उसी जमीन पर घर बनाकर रह रहा है। विपक्षी के ससुर को एकमात्र पुत्री विपक्षी की पत्नी है। आवेदक को प्रश्नगत जमीन के अतिरिक्त मकानमय सहन के लिये अन्य जमीन नहीं है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।</p>		
<p>मध्यपक्षी का कथन है कि खाता संख्या-276, खेसरा संख्या-607, रकवा-07 डिसमिल जमीन उनके पिता अखिलेश्वरी यादव के हिस्से में स्वत्व वाद संख्या-353/1970 द्वारा प्राप्त था। पिता की मृत्यु के उपरान्त मध्यपक्षी प्रश्नगत जमीन पर दखलकार हुआ। विपक्षी अपने ससुर के जीवन काल से ही शादी के उपरान्त खाता संख्या-326, खेसरा संख्या</p>		

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई सुनवाई के बारे में दिनांक तारीख सहित
1	2	3
	<p>604 की जमीन पर निवास कर रहा है। अतः मध्यपक्षी इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि उसे आवश्यक पक्षकार बनाने की कृपा की जाय।</p> <p>विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद किसी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। विपक्षी प्रश्नगत जमीन पर वर्ष 1965 ई० से ही भूस्वामी की अनुमति से निवास कर रहा है। इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत विपक्षी को प्राप्त राशि से घर प्रश्नगत जमीन पर ही बनाया गया है। विपक्षी भूमिहीन व्यक्ति है और अंचल कार्यालय से सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पर्चा निर्गत किया गया है। आवेदक का भाई विन्देश्वरी यादव वर्ष 2000 ई० में खेसरा संख्या-606, रकवा-03 डिसमिल जमीन के विरुद्ध धारा-144 द०प्र०सं० अन्तर्गत वाद प्रारम्भ करवाया था। इससे भी स्पष्ट है कि विपक्षी का दखल प्रश्नगत जमीन पर पूर्व से है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।</p> <p>अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व प्रतिवेदित किये है कि खाता संख्या-276, खेसरा संख्या-607, रकवा-1 3/4 डिसमिल जमीन पर आवेदक राजेन्द यादव का मकानमय सहन है तथा शेष 8¼ डिसमिल जमीन पर पर्चाधारी का मकानमय सहन के रूप में दखल कब्जा है। निर्धारित तिथि दिनांक 30.03.2012 को सुनवाई किया गया। सुनवाई के क्रम में मध्य पक्षी के द्वारा अपने आवेदन की प्रति आवेदक एवं विपक्षी को देते हुए न्यायालय में दायर किया गया, इसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक का आंशिक रूप से दखल-कब्जा है। विपक्षी अपने ससुराल में रहते हैं एवं उनके पास पूर्व से ही उनके नाम से 08 डिसमिल जमीन है।</p> <p>मध्य पक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन उनका है एवं यह व्यवहार न्यायालय में टाईटिल सूट में पारित आदेश के अनुरूप उन्हें मिला है। आवेदक का दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व के द्वारा सही ढंग से वासगीत पर्चा दिया गया। उक्त जमीन में इन्दिरा आवास योजना के तहत घर बनाकर कई वर्षों से विपक्षी शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं।</p> <p>पुनः दिनांक 25.05.2012 को सुनवाई हेतु रखा गया।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन में विपक्षी का दखल-कब्जा है। परन्तु वास्तविक रूप से दखल-कब्जा से संबंधित रकवा में ही विवाद प्रतीत होता है। अतः इस वाद को पुनः अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व को भेजते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि 02 (दो) माह के अन्दर स्थल जाँचकर विपक्षी द्वारा वास्तविक दखल-कब्जा के आधार पर वासगीत पर्चा में आवश्यकतानुसार रकवा में संशोधन की आवश्यकता है तो इसे करते हुए आदेश पारित करेंगे। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p> <p> समाहर्ता, पूर्णियाँ</p>	